


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/ 2012/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2012-13 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों पत्रों के आधार पर आरक्षण की श्रेणीवार अंतरिम वरीयता सूचियां इस निदेशालय के आदेश क्रमांक प्रशि./जीएनएम/जी-149/2012/904 दिनांक 09.07.2012 के द्वारा जारी करते हुए किसी को कोई आपत्ति हों तो 16.07.2012 तक तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।


निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रतिवेदनों की चयन समिति द्वारा जांच की गई, चयन समिति की अनुशंसा उपरांत अंतिम वरीयता सूचियां निर्देशानुसार जारी की जाती है। जो विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जीएनएम/ 2012/ 946
प्रतिलिपि :-

दिनांक 22/7/11

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा ग्रुप-3, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय।
6. रजिस्ट्रार, आरएनसी, राजस्थान, जयपुर।
7. जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय के समाचार का प्रेस नोट समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में जारी अंतरिम वरीयता सूचियों को विभागीय वेबसाइट से हटाते हुए संलग्न सॉफ्टकॉपी की अंतिम वरीयता सूचियों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर